भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3538
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

विभिन्न भाषाओं का प्रसार

3538. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न भाषाओं के विकास और प्रसार के लिए मंत्रालय के अंतर्गत उत्तरदायी स्वायत्त निकायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न भाषाओं के प्रसार के लिए इन स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित बैठकों की वर्ष-वार और स्वायत्त निकाय-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार उनके कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनके कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्वायत्त निकाय उत्तरदायी हैं:-

i. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू), दिल्ली
ii. राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (एनएसयू), तिरुपति
iii. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (एसएलबीएनएसयू), दिल्ली
iv. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
v. केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा
vi. अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद

vii. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई
viii. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी), उज्जैन
ix. राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (एनसीपीएसएल), दिल्ली
x. राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल), दिल्ली

भारत सरकार ने देश में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की स्थापना की है। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस) की स्थापना की गई है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। शास्त्रीय तमिल का विकास और प्रचार-प्रसार केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई द्वारा किया जाता है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी) वैदिक अध्ययन/श्रुति परंपरा की मौखिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय सिंधी संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) क्रमशः सिंधी भाषा और उर्दू भाषा के संवर्धन, विकास और प्रसार के लिए काम करते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के तहत तीन संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं; अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), हैदराबाद, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया था और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित किया गया था; ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियमों और संविधियों, उनके तहत बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। शेष स्वायत्त निकाय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं और उनके संगम ज्ञापन (एमओए) द्वारा अभिशासित होते हैं। इन निकायों की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित भारतीय भाषाओं के समग्र और बहु-विषयक विकास हेतु संभावनाओं का पता लगाने और सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यक्षेत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय को देश की विभिन्न संस्थाओं में मौजूदा भाषा शिक्षण और अनुसंधान के पुनरुत्थान एवं उसके विस्तार से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देना है।

*****